


क्रमांक 4111134 / छ.ग. / 2017 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सैक्टर-19,
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

दिनांक /05/2021

—: कार्यालयीन आदेश :—

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक एफ 01-05/31/स्था./2021 दिनांक 18.05.2021 के द्वारा श्री ललित कुमार राऊते, सहायक अभियंता (रूपां.), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर को प्रभारी कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर के पद पर पदस्थ किये जाने के फलस्वरूप नवीन पदस्थापना कार्यालय में कार्यग्रहण करने हेतु उन्हें आज दिनांक 19.05.2021 अपराह्न में कार्यमुक्त किया जाता है।



प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)

पृ.क्र. 4111134 / छ.ग. / 2017 / 3543
प्रतिलिपि :-

दिनांक 19/05/2021

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर शासनादेश क्रमांक एफ 01-05/31/स्था./2021 दिनांक 18.05.2021 के संदर्भ में सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. मुख्य अभियंता, महानदी परियोजना, जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.)।
03. अधीक्षण अभियंता, महानदी मण्डल, रायपुर (छ.ग.)।
04. कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर (छ.ग.)।
05. अधीक्षण अभियंता (MIS) यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
06. श्री ललित कुमार राऊते, सहायक अभियंता, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर शासनादेश की प्रति सहित सूचनार्थ एवं पालनार्थ अग्रेषित।
07. निज सहायक, प्रमुख अभियंता/मुख्य अभियंता (प्रबोधन)/अधीक्षण अभियंता (प्रशा.) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)
08. वरिष्ठ अधीक्षक, स्थापना कक्ष 331-332 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शिवनाथ भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)।

सहपत्र :- स.क्र. 6 हेतु शासनादेश की प्रति।


प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर,
अटल नगर (छ.ग.)
19/5